

**न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)**

आप0प्रक0 क्रमांक 1062 / 15

संस्थित दिनांक 17.11.2015

फा.नंबर-234503012422015

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना रूपझर

जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोजन

// **विरुद्ध** //

रविराम पिता राजकुमार सोनवाने, उम्र-23 साल,

निवासी ग्राम सरेखा थाना बालाघाट जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपी

: : **निर्णय** : :{ **दिनांक 10/01/2018 को घोषित** }

01. आरोपी के विरुद्ध धारा-279, 337(दो शीर्ष) एवं 338 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है, कि उसने दिनांक 28.10.2015 को समय 7:30 बजे चौकी बिठली, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लूद ग्राम पंचायत भवन के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.1344 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को पलटाकर आहतगण राजकुमार धुर्वे तथा सुनील ठाकरे को स्वेच्छया साधारण उपहति किया तथा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर आहत सुरेश को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 28.10.2015 को छोटा हाथी वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.1344 के चालक रविराम सोनवाने द्वारा तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर ग्राम लूद के पास पलटा दिया, जिससे प्रार्थी सुनील ठाकरे, सुरेश टेम्भरे, चालक रविराम तथा राजकुमार धुर्वे को चोटें आई थी तथा सुरेश टेम्भरे को ज्यादा चोट लगने से खून निकल रहा था। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये

गये तथा घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती की कार्यवाही की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विवेचना की गई। विवेचना दौरान आहत सुरेश टेम्भरे की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने तथा एक्स-रे में फ्रैक्चर पाये जाने से भा.द.वि. की धारा-338 का ईजाफा किया गया। आरोपी द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र क्रमांक 165/15 दिनांक 07.11.2015 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोपों को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा-313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फँसाया गया है। उसके द्वारा कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की गई।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

01. क्या आरोपी ने दिनांक 28.10.2015 को समय 7:30 बजे चौकी बिठली, थाना रूपझर अंतर्गत ग्राम लूद ग्राम पंचायत भवन के पास लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.1344 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

02. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को पलटाकर आहतगण राजकुमार धुर्वे तथा सुनील ठाकरे को स्वेच्छया साधारण उपहति किया ?

03. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर आहत सुरेश को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01, 02 एवं 03

साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा हेतु सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05. साक्षी सुनील ठाकरे अ.सा.01 का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक वर्ष पूर्व की है, वह किराए के पिकअप वाहन को लेकर बिठली काम से गया था। उक्त वाहन आरोपी चला रहा था। उसके अतिरिक्त वाहन में सुरेश व एक अन्य व्यक्ति जिसका नाम उसे याद नहीं है, तीनों उस वाहन में बैठे थे। वह शाम को उक्त वाहन से वापस लौट रहा था। वाहन चालीस-पचास की स्पीड से चल रहा था। वाहन अनियंत्रित होकर एक-दो पलटी खाकर नाली में चला गया था, जिससे उसे पीठ, छाती एवं गर्दन पर चोटें आई थी और उसके साथ बैठे लोगों को भी चोटें आई थी। उसका मुलाहिजा बूढ़ी अस्पताल बालाघाट में तथा जैन अस्पताल, बालाघाट में हुआ था। उक्त वाहन को आरोपी चला रहा था, जिसका नंबर-एम. पी-50/एल.ए.1344 था। उसने घटना के संबंध में रिपोर्ट पुलिस चौकी बिठली में दर्ज कराई थी, जो प्रदर्श पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06. साक्षी सुनील ठाकरे अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उक्त वाहन में उसके साथ राजकुमार धुर्वे और सुरेश टेम्भरे भी बैठकर गये हुए थे तथा उक्त घटना में सुरेश टेम्भरे के हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिससे उसके हाथ में राड डली है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उक्त वाहन को तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाया था, जिससे उसे चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मौसम बहुत खराब था, जहाँ घटना हुई थी, वहाँ पर काफी अंधा मोड़ है तथा काफी मोड़ होने की वजह से गाड़ियाँ प्रायः धीमी गति से चलती हैं। साक्षी के अनुसार उनकी गाड़ी चालीस-पचास की स्पीड में थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह पीछे बैठा था। साक्षी के अनुसार वह वह सामने बैठा था और पीछे राजेश धुर्वे बैठा था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि वह वाहन चालक नहीं है तथा उसका ड्रायविंग लायसेंस भी नहीं है, उसने अपने

पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि आरोपी तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चला रहा था, वह नहीं बता सकता कि उक्त बात उसके बयान में पुलिस ने कैसे दर्ज कर लिया है।

07. साक्षी सुरेश टेम्भरे अ.सा.02 का कथन है कि वह आरोपी एवं प्रार्थी सुनील को जानता है। घटना माह अक्टूबर वर्ष 2015 की है। वह किराये के पिकअप वाहन महेन्द्रा का छोटा हाथी लेकर बिठली काम से गया था और पिकअप वाहन को आरोपी रविराम सोनवाने चला रहा था। उस वाहन का नम्बर एम.पी.50एल.ए.1344 था। वह लोग बिठली से वापस हो रहे थे, मोड़ तरफ पहुँचे तो वाहन पलट गया था। उक्त वाहन को आरोपी चालीस-पचास की गति से चला रहा था। उक्त वाहन के पलटने से उसे सिर में चोट आई थी, जिसमें टांके लगे थे और बांये हाथ की हड्डी टूट गई थी, जिस कारण उसके हाथ में राड डली है। घटना आरोपी की गलती से हुई थी। उसका मुलाहिजा बूढ़ी अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। घटना के संबंध में सुनील कुमार ने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वाहन में बैठे राजकुमार एवं सुनील को भी चोटे आई थी, जिनका मुलाहिजा कराया गया था।

08. साक्षी सुरेश टेम्भरे अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28.10.15 को आरोपी अपने वाहन क्रमांक-एम.पी.50/एल.ए.1344 को लापरवाहीपूर्वक चलाकर मोड़ पर पलटा दिया था, जिससे उसे व अन्य दो लोगों को चोटें आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को मौसम बहुत खराब था। साक्षी के अनुसार कुछ खराब था। इन सुझावों को स्वीकार किया है कि हवा, तूफान भी चल रहा था तथा घटना का स्थान मोड़ वाला था, काफी मोड़ होने के कारण सभी गाड़ियाँ प्रायः धीमी चलती है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी वाहन को धीमी गति से चला

रहा था। साक्षी के अनुसार वाहन चालीस-पचास की स्पीड में चल रहा था।

09. साक्षी सुरेश टेम्भरे अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह वाहन चालक नहीं है तथा उसके पास ड्रायविंग लायसेंस नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि वह वाहन में पीछे बैठा था। साक्षी के अनुसार वह सामने बैठा था। यह स्वीकार किया है कि वह निश्चित रूप से घटना दिनांक नहीं बता सकता। साक्षी के अनुसार घटना वर्ष 2015 की है। यह अस्वीकार किया है कि गाड़ी में कोई पाटर्स खराब होने के कारण गाड़ी नाले में पलट गई थी तथा उसने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। यह स्वीकार किया है कि उसने उसके पुलिस बयान में तेज गति व लापरवाहीपूर्वक चलाने वाली बात नहीं बताया था, उसके पुलिस कथन में कैसे लिखा है वह कारण नहीं बता सकता। यह अस्वीकार किया है कि जहाँ घटना घटित हुई थी, वहाँ पर बहुत उतार है। साक्षी के अनुसार ज्यादा नहीं है लेकिन है।

10. साक्षी राजकुमार अ.सा.03 का कथन है कि वह आरोपी, प्रार्थी सुनील तथा आहत सुरेश को जानता है। घटना माह अक्टूबर-नवंबर वर्ष 2015 की है। उन लोग पिकअप वाहन से बी.एस.एन.एल. का सामान लेकर बालाघाट से बिठली गये हुए थे। उसके पिकप वाहन को आरोपी रविराम सोनवाने चला रहा था। वहाँ से वापस आते समय चालीस-पचास की स्पीड से चलाते हुए मोड़ पर पलटा दिया, जिससे उसे गर्दन के पीछे और पीठ पर चोटें आई थी और गुदला मार लगा था तथा सुरेश टेम्भरे को हाथ पर चोट आई थी तथा उसकी हड्डी टूट गई थी और सुनील को भी चोटें आई थी। वाहन का नंबर एम.पी.50.एल.ए. 1344 था। उसका मुलाहिजा बालाघाट में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11. साक्षी राजकुमार अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना दिनांक 28.10.15 शाम

7:30 बजे ग्राम लूद की है तथा आरोपी ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर पलटा दिया था, जिससे उसे चोटें आई थी, यदि आरोपी वाहन को सावधानी से चलाता तो घटना घटित नहीं होती। प्रतिपरीण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना की तारीख उसे याद नहीं है। साक्षी के अनुसार घटना दिनांक 28.10.2015 की है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर काफी अंधा मोड़ है, मोड़ के साथ-साथ घटनास्थल पर काफी उतार है, मोड़ व उतार होने के कारण प्रायः गाड़ियाँ धीमी गति से चलती है, आरोपी गाड़ी को मध्यम गति से चला रहा था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय बहुत आंधी-तूफान आया था तथा वाहन के पाटर्स खराब होने के कारण गाड़ी नाली में चली गई थी। इन सुझावों को स्वीकार किया है कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी तथा उसने उसके पुलिस बयान में यह नहीं बताया था कि आरोपी तेज गति व लापरवाहीपूर्वक वाहन को चला रहा था। साक्षी के अनुसार सुरेश टेम्भरे के हाथ में लगी चोट के कारण उसे संभाल रहा था और सुनील ने बयान दिया था।

12. डॉ० वी.पी. समद अ.सा.06 का कथन है कि वह दिनांक 28.10.15 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में अस्थिरोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने आहत रवि की जांच की थी तथा उसका ईलाज किया था। आहत बेहोशी की हालत में था। ईलाज के बाद उसने आगे के ईलाज हेतु जबलपुर मेडिकल कॉलेज रिफर किया था। आहत की इंडोर टिकट प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत सुनील की जांच कर उसका ईलाज किया था। आहत के बांये हाथ में खरोंच के निशान थे। ईलाज के बाद दिनांक 29.10.2015 को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दिया था। आहत की इंडोर टिकट प्रदर्श पी.09 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को उसने आहत सुरेश की जांच कर ईलाज किया था। परीक्षण करने पर उसने आहत के बांये क्लेविकल हड्डी तथा बांये ह्यूमरस हड्डी में अस्थिभंग होना पाया था। ईलाज के बाद दिनांक 30.10.2015

को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दिया था। आहत की इंडोर टिकट प्रदर्श पी.10 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आहत का डिस्चार्ज टिकट प्रदर्श पी.11 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आहत सुनील को आई चोटें सामान्य प्रकृति की थी, उक्त चोटें खुरदुरी सतह पर गिरने से आ सकती है तथा आहत सुरेश को आई चोटें दुर्घटना के अतिरिक्त कड़ी सतह पर गिरने से भी आ सकती है।

13. साक्षी डॉ० डी.के. राउत अ.सा.05 का कथन है कि दिनांक 05.11.15 को वह जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक 29.10.15 को एक्स-रे टेक्नीशियन ए.के. सेन ने आहत सुरेश के बांये तरफ की क्लेविकल हड्डी व बांये हाथ का एक्स-रे किया था, जिसका एक्स-रे प्लेट क्रमांक-11508 था, जिसे डॉक्टर समद ने रिफर किया था। एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के बांये हाथ की क्लेविकल हड्डी के बाहरी 1/3 भाग में तथा ह्यूमरस हड्डी में निचले 1/3 भाग में अस्थिभंग होना पाया था। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उक्त चोटें किसी कड़े एवं बोथरी वस्तु पर गिरने से आ सकती है।

14. साक्षी रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.04 का कथन है कि वह दिनांक 29.10.15 को पुलिस चौकी बिठली में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे अपराध क्रमांक 174/15 अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.सं. की केस डायरी प्राप्त होने पर उसने घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्रदर्श पी-2 साक्षी मोनेन्द्र की निशादेही पर तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। उसने आहतगण का मुलाहिजा जिला चिकित्सालय बालाघाट में कराया था। उक्त दिनांक को ही साक्षी बलत गोंड के बयान लेख किये गये थे। दिनांक 02.11.15 को मेघराज मेश्राम से गवाह

मागेश्वर, ललित नागेश्वर के समक्ष एक वाहन छोटा हाथी क्रमांक-एम. पी-50/एल.ए.1344 महेन्द्रा कंपनी का मय दस्तावेजों के जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने आरोपी को उक्त गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-04 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं।

15. साक्षी रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.04 के अनुसार दिनांक 03.11.15 को आरोपी का लायसेंस क्रमांक एम.पी.50.एन/2013/0110951 को जप्त किया था, जो प्रदर्श पी-05 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसने प्रार्थी सुनील कुमार एवं साक्षी राजकुमार, सुरेश टेम्भरे के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उसके द्वारा जप्तशुदा वाहन का मैकेनिकल परीक्षण मेघराज मेश्राम से दिनांक 28.10.2015 को समय 18:30 बजे कराया गया था। उसने आहत सुरेश टेम्भरे की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरोपी के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-338 का ईजाफा किया था। उसके द्वारा वाहन मालिक को धारा-133 मो.व्ही. एक्ट का नोटिस दिया था, जो प्रदर्श पी-06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसके जवाब नोटिस के पृष्ठ भाग पर बी से बी भाग पर वाहन मालिक के हस्ताक्षर हैं। विवेचना पूर्ण कर चालान थाना प्रभारी को सौंपा जाकर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

16. साक्षी रामेश्वर गोस्वामी अ.सा.04 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक थाना में बैठकर बनाया गया था, मौका-नक्शा प्र.पी.02 उसने गवाहों के बताये अनुसार लेख न कर थाने में ही बैठकर तैयार किया था, उसने गवाह बलत गोंड के बयान उसके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिया था, उसने आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक नहीं बनाया था तथा उसने

फरियादी से मिलकर आरोपी को फंसाने के लिये झूठा प्रकरण तैयार किया है।

17. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से कारित दुर्घटना में आहत राजकुमार एवं सुनील ठाकरे को साधारण उपहति तथा आहत सुरेश टेम्भरे को घोर उपहति कारित हुई थी, परंतु उक्त दुर्घटना अभियुक्त की लापरवाही अथवा उपेक्षा से कारित हुई थी, इस संबंध में साक्ष्य का अभाव है। घटना के तीनों आहतगण ने घटना में अभियुक्त की किसी लापरवाही अथवा उतावलेपन को प्रकट नहीं किया है। उक्त आहतगण ने आरोपी द्वारा वाहन को मध्यम गति 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने के कथन किये हैं। उक्त आहतगण के अतिरिक्त अन्य कोई घटना का साक्षी नहीं है।

18. उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक वाहन चलाये जाने के प्रकरणों में अभियोजन को संदेह से परे यह प्रमाणित करना होता है कि वाहन चालक द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय अनावश्यक जल्दबाजी व अविवेकपूर्ण गति से वाहन को चलाया जा रहा था या ऐसी कोई लापरवाही बरती गई थी, जिसके कारण दुर्घटना हुई थी। अभियोजन साक्षीगण ने अपनी-अपनी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को घटना के समय वाहन को अनावश्यक जल्दबाजी एवं अविवेकपूर्ण गति से तथा जानबूझकर लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया गया था, कोई तथ्य एवं परिस्थितियाँ प्रकट नहीं की है। अन्य किसी भी साक्षी ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है। अभियुक्त के गाड़ी चलाने के ढंग तथा उपेक्षा से समर्थित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त द्वारा घटना दिनांक को वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.1344 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर उक्त वाहन को पलटाकर आहतगण राजकुमार धुर्वे तथा सुनील ठाकरे को स्वेच्छया साधारण उपहति किया तथा उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर वाहन को पलटाकर आहत

सुरेश को चोट पहुँचाकर अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित किया। अतः अभियुक्त को भा.दं0सं0 की धारा-279, 337(दो बार), 338 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा वाहन क्रमांक एम.पी.50एल.ए.1344 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

21. अभियुक्त विवेचना या विचारण के दौरान अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
 हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -
 (अमनदीप सिंह छाबड़ा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
 जिला बालाघाट(म.प्र.)

सही / -
 (अमनदीप सिंह छाबड़ा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
 जिला बालाघाट(म.प्र.)